

अन्तिम डिक्री व मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर(जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनोज खेमादा, आर.ए.एस.

वादी

1. पीराराम पुत्र बीजाराम
2. माधाराम पुत्र बीजाराम
3. शेराराम पुत्र बीजाराम निवासी आगोलाई तहसील बालेसर जिला जोधपुर
बनाम

प्रतिवादीगण

1. खीयाराम पुत्र जोगाराम
2. शिवाराम पुत्र जोगाराम
3. मुलाराम पुत्र जोगाराम
4. पुकाराम पुत्र जोगाराम निवासी आगोलाई तहसील बालेसर जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम

उपस्थित :-

1. वादी अधिवक्ता श्री हनवन्तसिंह उपस्थित
2. प्रतिवादीगण अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही।

मुकदमा नम्बर 08/2017

आर.सी.एम.एस. नम्बर :- 2017/00089

निर्णय दिनांक :- 24/11/23

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट (तहसीलदार बालेसर का पत्रांक भू. अ./2022/2475 दिनांक 18.10.2022) पर एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ। वादी अधिवक्ता द्वारा हल्का पटवारी आगोलाई एवं भू.अ. निरीक्षक आगोलाई तहसील बालेसर की रिपोर्ट दिनांक 10.10.2022 के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया गया। अतः अन्तिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती :-

क्र.सं.	नाम काश्तकार	ग्राम का नाम.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
01	पीराराम पि. बीजाराम 1/3 माधाराम पि. बीजाराम 1/3 शेराराम पि. बीजाराम 1/3 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	आगोलाई	974/1	2.0990	बारानी तृतीय
			974/2	0.8336	बारानी तृतीय
02	खीयाराम पि. जोगाराम 1/4 पुकाराम पि. जोगाराम 1/4 मुलाराम पि. जोगाराम 1/4 शिवाराम पि. जोगाराम 1/4 जाति मेघवाल सा. खातेदार	आगोलाई	974	5.8653	बारानी तृतीय



यह आज तारीख 24/11/23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मनोज खेमादा)
पीठासीन अधिकारी

एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर

खर्चा वाद

वादी	राशि	प्रतिवादी	राशि
1. स्टाम्प वाद	✓	1. स्टाम्प वकालतनामा	✓
2. स्टाम्प वकालतनामा			
3. इजराय हुकमनामा			
4. वकील फीस बाबत			

(मनोज खेमादा)
उपखण्ड अधिकारी

एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर

